

फैक्स
एवं
ई-मेल

ज्ञाप संख्या-जी0/बी0टी0-30-42/2017...../जे0,

पटना, दिनांक 05-03-18

सेवा में,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भागलपुर, जमुई एवं सारण, छपरा ।

विषय:- मुख्यशीर्ष-2014-न्याय प्रशासन, लघुशीर्ष-105-सिविल और सेशन न्यायालय, उपशीर्ष-0001-सिविल और सत्र न्यायालय के अन्तर्गत 06-चिकित्सा प्रतिपूर्ति-0001-06.01-चिकित्सा प्रतिपूर्ति विषयशीर्ष में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से व्यय हेतु निम्न प्रकारकुल-42,960/- (बयालीस हजार नौ सौ साठ) रुपये का आवंटन की स्वीकृति।

।। आवंटित राशि का ब्यौरा ।।

क्र0सं0	न्यायमंडल का नाम	आवंटन की राशि (रूपये में)	पत्र का प्रसंग
1.	भागलपुर	15,610/- (पन्द्रह हजार छः सौ दस)	809/09.02.2018
2.	जमुई	17,350/- (सत्रह हजार तीन सौ पचास)	25/21.02.2018
3.	सारण, छपरा	10,000/- (दस हजार)	106/13.02.2018
कुल:- 42,960/- (बयालीस हजार नौ सौ साठ) रुपये			

आदेश:- स्वीकृत।

- व्यय का विकलन मुख्यशीर्ष-2014-न्याय प्रशासन-लघुशीर्ष-105-सिविल और सेशन न्यायालय, उप शीर्ष-0001-सिविल और सत्र न्यायालय के अन्तर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति विषयशीर्ष में वित्तीय वर्ष 2017-18 में होगा।
- राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561वि0(2), दिनांक-17.4.1998 में दिये गये निर्देश के आलोक में दिया जाता है।
- विधि विभाग के ज्ञाप संख्या-681/जे0, दिनांक-17.11.2017 के द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति के फलस्वरूप उक्त राशि को नियमानुसार व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
- कृपया मासिक व्यय विवरणी शीघ्र भेजा जाय। लेखा सत्यापन हेतु ससमय विहित प्रपत्र में व्यय प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।
- इस शीर्ष की माँग संख्या-27 एवं विपत्र कोड-27-2014001050001 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी0/बी0टी0-30-42/2017...../जे0,

पटना, दिनांक 05-03-18

प्रतिलिपि:-जिला कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर, जमुई एवं सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी0/बी0टी0-30-42/2017...../जे0,

पटना, दिनांक 05-03-18

प्रतिलिपि:-प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर, मुंगेर एवं सारण प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी0/बी0टी0-30-42/2017...../जे0,

पटना, दिनांक 05-03-18

प्रतिलिपि:-विभागीय आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।